

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- राजेश कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 145/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2024/236

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.घेवरराम पुत्र रूपाराम		1.नीवे खां पुत्र जमे खां
2.अनोपाराम पुत्र भोपाराम		2.इलम खां पुत्र हबीब खां
3.गौतमचंद पुत्र भोपाराम		3.कमु खां पुत्र हबीब खां
4.सुरजाराम पुत्र भोपाराम		4.जले खां पुत्र सबे खां
5.सुरेश पुत्र भोपाराम		5.रहमाना पुत्र खिन्दा
6.सायर पत्नी भोपाराम		6.लाधा पुत्र खिन्दा
जाति प्रजापत निवासी केसरपुरा		7.लाला पुत्र खिन्दा
तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		8.इस्माल खां पुत्र साकर खां
		जाति मुसलमान
		9. अमराराम पुत्र गेपरराम
		10.छगनाराम पुत्र गेपरराम
		जाति प्रजापत निवासी केसरपुरा
		तहसील पचपदरा जिला बालोतरा
		11.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार
		पचपदरा

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-


1. श्री दुर्गेशकुमार दैया अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थी एकपक्षीय



आदेश

दिनांक 11.7.2024

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कृषि काशत चला आ रहा है,प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। अतः ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।


2.प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही पारित की गई।

3.हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थीगण को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहता है, प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4.हमने विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, संलग्न दस्तावेजात एवं मौका फर्द रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हैक्टर भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्ड्ड खातेदार है और रिकार्ड्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसके प्रार्थीगण हकदार प्रतीत होते है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का उल्लेख करना उचित समझते है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित रीति से तय किए



परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहां यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायें तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)


उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) वालोतरा

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 24.5.2024 अवलोकन से हस्तागत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं को लेकर विवाद है, ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में निहित प्रावधानों के तहत हस्तागत प्रकरण का निस्तारण न्यायालय हाजा से ही किया जाना है। ऐसी सूत्र में प्रार्थीगण अपने आवेदन पत्र को बखूबी साबित करने में सफल रहा है।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाने के हकदार है। ऐसी सूत्र में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में विहित प्रक्रिया के अनुसरण में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ग्राम केसरपुरा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 2035 क्षेत्रफल 1.6187 हेक्टेयर व खसरा संख्या 2303/2035 क्षेत्रफल 1.6187 हेक्टेयर भूमि की सीमाज्ञान करवाकर नेखम स्थापित करें। उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 1000/प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। यदि विवाद हो, तो पालना रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली इसी कदर निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफतर हो।



(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 11.7.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।





उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा